

क्रमांक/फा/भूप्रा/संस्था-III/पदो./5/1/13/2025-26/

दिनांक-

कार्यालय आदेश

विभाग में निजी सहायक-II से निजी सहायक-I के पद पर वर्ष 2025-26 के रिक्त पदों के विरुद्ध पदोन्नत किये जाने हेतु दिनांक 14.11.2025 को आयोजित पदोन्नति समिति की अनुशंसा अनुसार निम्न कार्मिकों को उनके नाम के सम्मुख अंकित रिक्ति दिनांक से निजी सहायक-I पद पर पदोन्नति दी जाती है :-

क्र.स.	नाम कार्मिक मय पिता का नाम	वरिष्ठता क्रमांक	संवर्ग	पदोन्नति वर्ष / रिक्ति दिनांक	रोस्टर संख्या
1	2	3	4	5	6
1.	श्री घनश्याम दास/मोतीलाल	1	सामान्य	2025-26 / 21.05.2025	(UR-2)
2.	श्री गोपाल जोशी/ओमप्रकाश	2	सामान्य	2025-26 / 21.05.2025	(UR-3)

- क्रम संख्या 02 पर अंकित कार्मिक श्री गोपाल जोशी को कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 16.03.2023 की पालना में संतान का प्रभाव डालते हुए 03 वित्तीय वर्ष (2025-26, 2026-27 एवं 2027-28 तक) तक काल्पनिक लाभ एवं इसके पश्चात् वित्तीय वर्ष 2028-29 से वास्तविक लाभ (वेतन वृद्धियां) देय होगा। तथापि ऐसी काल्पनिक वेतन वृद्धियों के कोई बकाया संदत्त नहीं किया जायेगा।
- पदोन्नत कार्मिक वर्तमान पदस्थापित कार्यालय में दिनांक 18.11.2025 तक पदोन्नत पद पर उपस्थिति प्रस्तुत करें। उपस्थिति प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में दिनांक 21.11.2025 तक फारगो अभ्यावेदन आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें। उपस्थिति/फारगो अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में पदोन्नति स्वतः ही फारगो मानी जावेगी एवं नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जावेगी।
- पदोन्नत कार्मिकों के पदस्थापन आदेश पृथक से जारी किये जावेंगे।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(अर्शदीप बराड़)
अति. भू-प्रबन्ध आयुक्त राजस्थान,
जयपुर।

प्रतिलिपि:-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

- भू-प्रबन्ध अधिकारी अलवर/सीकर।
- कोषाधिकारी अलवर/सीकर द्वारा संबंधित कार्यालय।
- संबंधित कार्मिक द्वारा संबंधित कार्यालय।
- निजी पंजिका संबंधित कार्मिक द्वारा संबंधित कार्यालय।
- संस्था-I, मु.का.।
- प्रभारी, आई.टी. शाखा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

अति. भू-प्रबन्ध आयुक्त राजस्थान,
जयपुर।

